रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937
No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015 /CHAITRA 6, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

सा.का.नि. 230(अ).—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित नियम बनाती है: अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारबार का विनियमन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाः इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "2005 का अधिनियम" से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) अभिप्रेत है;

(ग) ऐसे शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) में समनुदेशित हैं।

3. **प्राधिकरण, विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार के विनियमन संबंधी उपबंध** - बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2ग क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार के विनियमन तथा संवर्धन के प्रयोजन से निम्न पर विचार कर सकेगा;

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारबार करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत बीमाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञा देगा, अर्थातः—

(i) यह कि बीमाकर्ता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) में अपना कारबार स्थापित करेगा;

(ii) यह कि बीमाकर्ता जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा या पुनर्बीमा के केवल ऐसे वर्गों या उप-वर्गों की हामीदारी कर सकता है, जिसे प्राधिकरण द्वारा विशेष आर्थिक जोन के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु यह कि प्राधिकरण ऐसे बीमाकर्ता को विशेष आर्थिक जोन के अधीन सभी वर्गों के कारबार का पुनर्बीमा को प्रतिगृहीत करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसमें विशेष आर्थिक जोन के भीतर या देश के बाहर आच्छादन सम्मिलित है, जो वर्ष 2005 के अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन होंगे:

परन्तु यह भी कि टैरिफ एरिया अस्तित्वों को वर्ष 2005 के अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विशेष आर्थिक जोन में क्रियाशील बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा से संबंधित सेवाएं उसी समरूप निबंधनों पर प्राप्त करने की अनुज्ञा दे सकता है जो देश के बीमाकर्ताओं से ऐसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए समय-समय पर लागू सुसंगत विधियों के अधीन साधारणतया अनुज्ञात हों:

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा, ऐसे बीमाकर्ता को वर्ष 2005 के अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन के भीतर और देश के बाहर कार्यरत कंपनियों से बीमा कारबार प्राप्त करने की अनुज्ञा दे सकता है:

परन्तु यह भी कि घरेलू टैरिफ एरिया के अस्तित्वों को वर्ष 2005 के अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विशेष आर्थिक जोन में क्रियाशील बीमाकर्ताओं से बीमा से संबंधित सेवाएं ऐसे समरूप निबंधनों पर प्राप्त करने की अनुज्ञा दे सकता है जो देश के बाहर के बीमाकर्ताओं से ऐसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए समय-समय पर लागू सुसंगत विधियों के अधीन साधारणतया अनुज्ञात हो;

(iii) विशेष आर्थिक जोन के अधीन पुनर्बीमा कारबार का प्रतिग्रहण करना प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जिसका वर्ष 2005 के अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) में उल्लेख किया गया है, के अनुसार होगा;

(ख) देश के बाहर के बीमाकर्ताओं को खंड (क) में उल्लिखित शर्तों के अधीन विशेष आर्थिक जोन के अधीन पुनर्बीमा का कारबार करने के लिए विशेष आर्थिक जोन, घरेलू टैरिफ एरिया और विदेशों में अपनी शाखाएं स्थापित करने की अनुज्ञा देना, और –

(i) किसी भारतीय बीमाकर्ता द्वारा ऐसे बीमाकर्ता को पुनर्बीमा कारबार देने को भारत से बाहर पुनर्बीमा कारबार का नियोजन माना जाएगा;

(ii) पुनर्बीमा का कारबार करने वाले ऐसे बीमाकर्ता को बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 101क के उपबंधों के अर्थों में भारतीय पुनर्बीमाकर्ता नहीं माना जाएगा;

(iii) घरेलू टैरिफ एरिया अस्तित्वों को वर्ष 2005 के अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा से संबंधित सेवाएं ऐसे समरूप निबंधनों पर प्राप्त करने की अनुज्ञा होगी जो देश के बाहर के बीमाकर्ताओं से ऐसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए समय-समय पर लागू सुसंगत विधियों के अधीन साधारणतया अनुज्ञात हो;

(iv) विशेष आर्थिक जोन के अधीन बीमा कारबार को प्रतिग्रहीत करना प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जिसका वर्ष 2005 के अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) में उल्लेख किया गया है, के अनुसार होगा;

(ग) देश के बाहर के बीमाकर्ताओं को खंड (क) में उल्लिखित शर्तों के अधीन विशेष आर्थिक जोन से बीमा कारबार संचालित करने के लिए किसी बीमाकर्ता को अनुज्ञा देना, और –

(i) ऐसी अनुमति में विशेष आर्थिक जोन के अधीन सीमित आच्छादन और भारत के बाहर के अस्तित्वों से विशेष आर्थिक जोन के अधीन अस्तित्वों से बीमा कारबार प्राप्त करने का अनुमोदन शामिल है;

(ii) घरेलू टैरिफ एरिया के अस्तित्वों को वर्ष 2005 के अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे बीमाकर्ताओं से बीमा से संबंधित सेवाएं ऐसे समरूप निबंधनों पर प्राप्त करने की अनुज्ञा होगी जो देश के बाहर के बीमाकर्ताओं से ऐसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए समय-समय पर लागू सुसंगत विधियों के अधीन साधारणतया अनुज्ञात हो;

(iii) विशेष आर्थिक जोन के अधीन बीमा कारबार को प्रतिगृहीत करना प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जिसका वर्ष 2005 के अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) में उल्लेख किया गया है, के अनुसार होगा;

(घ) विशेष आर्थिक जोन में बीमा कारबार और पुनर्बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ताओं को इसके निर्देशों तथा सुसंगत विधियों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए निदेश देना।

[फा. सं. 14017/98/2014-बीमा-II]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2015

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 24 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Regulation of Insurance Business in Special Economic Zone) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(b) "Act of 2005" means the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(c) words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. **Provisions regarding regulation of insurance business in Special Economic Zone.-** For the purposes of regulating and promoting the insurance business in Special Economic Zone, the Authority may, in consideration of the notification issued by the Central Government under section 2CA of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938),-

(a) permit an insurer registered, with the Authority, under section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to carry on the business of insurance in a Special Economic Zone subject to the following conditions, namely:—

(i) that an insurer shall set up its place of business in a Special Economic Zone with the prior approval of the Authority;

(ii) that an insurer may underwrite only such classes or sub-classes of business of life insurance, general insurance, health insurance or re-insurance as may be specified by the Authority from time to time for the Special Economic Zone:

Provided that the Authority may allow such insurer to accept re-insurance of all classes of business from within the Special Economic Zone involving cover either within the Special Economic Zone or from outside the country, subject to the provisions of Act of 2005 and rules made thereunder:

Provided further that the Domestic Tariff Area entities may be allowed by the Authority to procure services relating to re-insurance from insurers operating from the Special Economic Zone on the same terms as they may be allowed in general under the relevant law for the time being in force to procure such services from the insurers outside the country subject to the provisions of Act of 2005 and rules made thereunder:

Provided also that such insurer may be allowed by the Authority to accept insurance business from entities within the Special Economic Zone and from entities outside the country, subject to the provisions of Act of 2005 and rules made thereunder:

Provided also that the Domestic Tariff Area entities may be allowed by the Authority to procure services relating to insurance from insurers operating from the Special Economic Zone on the same terms as they may be allowed in general under the relevant law for the time being in force to procure such services from the insurers outside the country subject to the provisions of Act of 2005 and rules made thereunder;

(iii) acceptance of insurance business within the Special Economic Zone shall be in accordance with the guidelines of the Authority, referred to in sub-section (2) of Section 18 of Act of 2005;

(b) permit an insurer from outside the country to set up his branch in Special Economic Zone to transact the business of re-insurance within the Special Economic Zone, in the Domestic Tariff Area and abroad, subject to the conditions mentioned in clause (a), and-

(i) any placement of re-insurance business by an Indian insurer to such insurer shall be deemed as re-insurance placed outside India;

(ii) such insurer carrying on the business of re-insurance shall not be deemed to be an Indian re-insurer within the meaning of the provisions of section 101A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(iii) the Domestic Tariff Area entities may be permitted to procure re-insurance services from such insurers on the same terms as they may be allowed in general under the relevant law for the time being in force to procure such services from the insurers outside the country subject to the provisions of Act of 2005 and rules made thereunder;

(iv) acceptance of re-insurance business within the Special Economic Zone shall be in accordance with the guidelines of the Authority, referred to in sub-section (2) of section 18 of Act of 2005;

(c) permit an insurer from outside the country to transact the insurance business from the Special Economic Zone on the conditions specified in clause (a), and-

(i) such permission may include approval for procurement of insurance business from entities within the Special Economic Zone with cover confined to the Special Economic Zone and from entities outside India;

(ii) the Domestic Tariff Area entities may be permitted to procure insurance services from such insurers on the same terms as they may be allowed in general under the relevant law for the time being in force to procure such services from the insurers outside the country subject to the provisions of Act of 2005 and rules made thereunder;

(iii) acceptance of insurance business within the Special Economic Zone shall be in accordance with the guidelines of the Authority, referred to in sub-section (2) of Section 18 of Act of 2005;

(d) direct the insurers, carrying on the insurance business and re-insurance business in a Special Economic Zone, to comply with its directions, and with the relevant laws and rules and regulations framed thereunder.

[F. No. 14017/98/2014-Ins. II]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

1424 GI)15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.